न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 1150 सन 2021

अनवान :-

1. मनरूप पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र प्रसाद भाम्भू पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पि०मु० रामी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 28/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 78/70 की कुल 5.8300हैक्‍ में से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा राणीसर के खाता संख्या 124/121 की कुल 11.8620हैक्‍ भूमि में से 3293/19770 हिस्सा भूमि रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है रामी पत्नी रावताराम ने अपने जीवन काल मे वादीगण के पिता रामेश्वरलाल को जरिये खोलेनामा दिनांक 5.8.1985 के जरिये खोले लिया गया था जिसके दो पुत्र वादीगण है रामी पत्नी रावताराम ने वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में दिनांक 01.01.2009 को तहरीर करवाई जाकर उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध करवाई गई थी। रामी पत्नी रावताराम का देहान्त दिनांक 15.04.2016 को हो चुका है रामी पत्नी रावताराम के देहान्त होने के बाद रामी की वसीयत दिनांक 01.01.2009 के अनुसार वादीगण रामी पत्नी रावताराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम वसीयत के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामी पत्नी रावताराम जो वादीगण की दादी है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण रामी पत्नी रावताराम की वसीयत के अनुसार बतोर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है जिसके कोई औलाद नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को खोले लिया गया था तथा रामी पत्नी रावताराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर उप पजीयक कार्यालय नोहर में तस्दीक करवाई गई थी रामी पत्नी रावताराम का देहान्त हो गया है रामी पत्नी रावताराम के देहान्त होने पर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रामी की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रामी के नाम दर्ज भूमि के वादीगण वसीयत के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गये है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल है तथा प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 78/70 की कुल 5.8300हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा राणीसर के खाता संख्या 124/121 की कुल 11.8620हैक भूमि मे से 3293/19770 हिस्सा भूमि रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है रामी पत्नी रावताराम ने अपने जीवन काल में वादीगण के पिता रामेश्वरलाल को जरिये खोलेनामा दिनांक 5.8.1985 के जरिये खोले लिया गया था जिसके दो पुत्र वादीगण है रामी पत्नी रावताराम ने वादीगण की सेवा चाकरी से खुश होकर अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में दिनांक 01.01.2009 को तहरीर करवाई जाकर उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्व करवाई गई थी। रामी पत्नी रावताराम का देहान्त दिनांक 15.04.2016 को हो चुका है रामी पत्नी रावताराम के देहान्त होने के बाद रामी की वसीयत दिनांक 01.01.2009 के अनुसार वादीगण रामी पत्नी रावताराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम वसीयत के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 78/70 की कुल 5.8300हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा राणीसर के खाता संख्या 124/121 की कुल 11.8620हैक भूमि में से 3293/19770 हिस्सा भूमि रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है जिसके कोई औलाद नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को खोले लिया गया था तथा रामी पत्नी रावताराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादीगण के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर उप पंजीयक कार्यालय नोहर में तस्दीक करवाई गई थी रामी पत्नी रावताराम का देहान्त हो गया है रामी पत्न रावताराम के देहान्त होने पर रामी की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रामी के नाम दर्ज भूमि के वादीगण वसीयत के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वसीयत के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

चुका है तथा वादी संख्या 1 ने भी शपथ पत्र पेश किया की रामी पत्नी रावताराम की वसीयत अन्तिम है जिसके सम्बध में किसी प्रकार का विवाद नही है व किसी प्रकार के विवाद की स्थिति के जुम्मेवार स्वय होगे।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 78/70 की कुल 5.8300हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा राणीसर के खाता संख्या 124/121 की कुल 11.8620हैक भूमि में से 3293/19770 हिस्सा भूमि रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मनरूप पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र प्रसाद भाम्भू पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पि0मु0 रामी पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1150 सन 2021 निर्णय दिनांक– 28/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोवर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 78/70 की कुल 5.8300हैक मे से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/121 की कुल 11.8620हैव भूमि में से 3293/19770 हिस्सा भूमि रामी पत्नी रावताराम के नाम से दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनगुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner